शोध मंथन Vol. XIV No.I Jan.-Mar.2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

लिंग समानता एवं नारी सशक्तीकरण का इतिहास

अशोक कुमार
एम०एड़०, नेट,
अध्यापक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
एस०एस०आर, दौराला, मेरठ
ईमेलः *ashokkumarup238@gmail.com*

प्राप्तिः 13.03.2023
स्वीकृतः 15.03.2023

10

सारांश

सर्वविदित है कि पुरूष एवं नारी की उत्पत्ति पृथ्वी पर एक साथ हुई। विश्व की आधी जनसंख्या स्त्रियों की है आज के वैज्ञानिक युग में लगभग स्पष्ट हो चुका है कि नारी में ऐसी ताकत है कि वह समाज एवं देश को बदल सकती है चहुँमुखी विकास कर सकती है वह समाज में किसी समस्या को पुरूषों से बेहतर ढंग से निपटा सकती है। फिर भी इतिहास साक्षी है कि देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नगरियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। परम्परागत समाज, आज के कुछ समाज एवं कुछ देश पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान दृष्टिकोण रखते है और महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर आँकते है। महिला उत्थान के लिए लिंग समानता एवं नारी सशक्तीकरण आधुनिक युग में एक नयी अवधारणा है इस अवधारणा को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर क्रमशः नारीमुक्ती कर्ताओं का नारीवादी आन्दोलन, यू०एन० आदि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान है। ये नारीमुक्तिवादियो ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रताए, न्याय एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कराने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा इनके अथक प्रयास के कारण आज लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा उभरकर विश्व पटल पर सामने आयी है।

प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री 'जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक The Subjection of Women में लिखा है कि पुरूष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित है बल्कि यह मानव जाति की उन्नति के मार्ग में मुख्य बाध्य भी है।'[1]

लिंग समानता प्राकृतिक रूप से पुरूष एवं स्त्री के शरीर की बनावट में भिन्नता पायी जाती है इसी भिन्नताओं के आधार पर कुछ लोग महिला को अबला एवं कमजोर मानते है और श्रम, उत्पादन, साधन एवं संसाधनों के कार्यों में विभेद करते हैं रूढ़िवादी नियमों, परम्पराओं एवं अविवेकपूर्ण तर्क के आधार पर महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित रखने का वकालत करते है। सर्वविदित है कि लिंग–विभेद से समाज में असमानता को बढ़ावा मिलता है और देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हो जाता है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसकी क्षमता का पूरा विकास के लिए उसे स्वस्थ्य वातावरण मिले।

लैंगिक समानता का मतलब राज्य अपने पुरूष एवं स्त्री को समान रूप अधिकारों, जिम्मेदारी एवं अवसरों को प्रदान करें। लैंगिक असमानता सभी को प्रभावित करती है महिला पुरूष, ट्रांस और लैंगिक विविधता वाले लोग, बच्चे और परिवार अर्थात् यह सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करता है। लैंगिक समानता उन ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने का काम करती है जिन कारणों से महिलायें पीछे छुट गयी है।

नारी सशक्तीकरण क्या है? नारी सशक्तीकरण में नारी के केवल एक पक्ष को शक्तिशाली न बनाकर नारी के सभी पक्षों को शक्तिशाली बनाने के लिए सतत् प्रयास है इसलिए माना जाता है कि नारी सशक्तीकरण एक बहु–आयामी तथा सक्रिय–प्रक्रिया है जिसके द्वारा नारी को भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सांस्कृतिक आदि सभी स्तरों से शक्तिशाली बनाना जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सके, वह परिवार और समाज में अच्छे ढंग से रह सके, आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक एवं संस्कृतिक गतिविधियों को अच्छे ढंग से संचालन कर सके। वह देश में कृषि, खनन तथा सम्पत्ति जैसे आदि सभी संसाधनों को नियन्त्रित करने के साथ–साथ देश का चहुंमुखी विकास करने में सक्षम हो सके।

प्रश्न उठता है कि अधिकांश समाज एवं देश जो पारंपरिक पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान विचार रखता था वह समाज आज लिंग समानता एवं सशक्तीकरण जैसे बहु–आयामी एवं सक्रिय प्रक्रिया को कैसे स्वीकार कर लिया। आज के परिवेश में विश्व के अधिकांश देश महिला सशक्तीकरण करने की बातें कर रहे है यह सब कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है वैश्विक स्तर पर नारीमुक्तिकर्ता तथा अंतराष्ट्रीय संगठनों का लगभग सौ–सवा साल का अथक प्रयास। सौ–सवा साल इतिहास को क्रमबद्ध रूप में निम्न देखा जा सकता है। सर्वप्रथम लिंग समानता एवं नारी सशक्तीकरण का इतिहास औद्योगिकरण क्रान्ति से शुरू होता है।

औद्योगिक क्रान्ति 1765 से 1785 ई0 के बीच इंग्लैण्ड में जेम्सवाट ने भाप इंजन, हरग्रीव्ज ने कटाई की मशीन, कार्टराइट ने पॉवरलूम की मशीन एवं क्राम्पटन ने प्यूल का अविष्कार किया। इन अविष्कारों सहित अन्य अविष्कारों ने ब्रिटेन का तो ओद्यौगिकरण कर दिया परन्तु भारत सहित कई देशों का विऔद्योगीकरण कर दिया।

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण उद्योग के क्षेत्र, स्वरूप और उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से परिवर्तन हुये इस परिवर्तन ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। औद्योगिक क्रान्ति ने 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड को ही नहीं समूचा यूरोप और पुरा विश्व को एक नये मार्ग की ओर अग्रसर किया।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण एवं प्रभाव व्यापक था। औद्यौगिक क्रान्ति के कारण इंग्लैण्ड तथा यूरोप के देशों में कृषि–प्रणाली में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होने लगा। इंग्लैण्ड थोड़े ही दिनों में अपेक्षाकृत कम जमीन होने के बावजूद कृषि में यूरोप के अन्य देशों से अग्रणी हो गया। कृषि कार्य हेतु 'सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में खेतों का घेराबंन्दी प्रथा शुरू हुई जिसे वर्तमान में चकबन्दी कहा जाता है।'[2] इसलिए स्वीकार किया गया कि कृषिगत परिवर्तन जिसे कृषि क्रान्ति कहा जाता है ने औद्योगिक क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक विशेष भूमिका निभाई।

चकबन्दी के कारण अधिकांश छोटे किसान भूमिहीन हो गये। भूमिहीन किसान एवं भूमि पर काम करने वाले मजदूर रोगजार के तलाश में शहरों की ओर पलायन हुये तथा काम के अभाव में थोड़ी मजदूरी में काम करने को तैयार हो गये। पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों एवं बच्चों को कम मजदूरी दी जाती थी। तंगी हालात के कारण ये कम मजदूरी में काम करते थे कम मजदूरी पर होने के कारण उद्योगपति तेजी से माला–माल होते गये।

बच्चे नींद के झोंके में मशीन में फंसकर कट जाते थे और यह घटनाएं प्रायः होती रहती थी। 'चिमनी को साफ करने के लिए बच्चों को ब्रश की तरह प्रयोग किया जाता था'[3] इस शोषण पर जब सरकार का ध्यान गया तब सरकार समय–समय पर कारखाना अधिनियम बनाकर छोटे बच्चों के काम पर प्रतिबन्ध लगाते रहे अन्त में बच्चों से काम कराना निषेद कर दिया साथ ही औरतें के काम करने के समय में कटौती कर दी। औरतों को कम मजदूरी देने से उद्योगपति को लाभ होता था अपने लाभ को और अधिक बढ़ाने के लिए औरतों को काम करने को प्रोत्साहन देते थे और आसानी से काम उपलब्ध करा देते थे।

महिलाओं को काम आसानी से मिल जाने के कारण परिवार वाले मजबूरी में अपने औरतों को काम पर भेजना स्वीकार करने लगे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के समय अैरतों का शोषण एवं मजबूरी में घर से बाहर सार्वजनिक रूप से काम करने का अवसर मिला और समाज ने मजबूरी में औरतों का घर से बाहर काम करने की प्रथा को स्वीकार कर लिया। यह स्पष्ट करता है कि औरतों का सार्वजनिक रूप में कार्य खुशी से न होकर विवशता में स्वीकारा गया। यही सार्वजनिक रूप से औरतों का काम करना परिवर्तित काल में महिला सशक्तिकरण की राह में शुभ संकेत साबित हुआ।

'अमेरिका जुलाई, 1776 ई0 को बिट्रेन से आजाद हुआ।'[4] अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब नागरिकों की मौलिक अधिकार जैसे पहलू पर व्यापक विचार–विमर्श हुआ। नागरिकों की मौलिक अधिकार जैसे पहलू को संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया (पेनसिलवेनिया) और राज्य के सम्मलेन में पुष्टि के बाद 'अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार जोड़कर लागू किया गया।'[5] आश्चर्य की बात है इतना व्यापक विमर्श के बाद भी, कि अमेरिकी संविधान बनते समय वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। यही हाल अन्य देशों का भी था।

परिणामस्वरूप अमेरिका सहित विश्व के अन्य देशों में महिलाओं के साथ मताधिकार सम्बन्धी अधिकार आदि को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। लेकिन विश्वस्तर पर इसका कोई ठोस सार्थक परिणाम नहीं निकला। फिर भी आन्दोलनों को देखकर विश्व में 'सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड ने दिनांक 28 नवम्बर, 1893 को महिलाओं को मताधिकार दिया। दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1902 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया।'[6] यद्यपि इनका प्रभाव अमेरिका एवं यूरोपीय देशों पर अधिक नहीं पड़ा।

महिला दिवस की शुरूआत अमेरिका में हुई, 'सन 1908 ई0 में अमेरिका के न्यूर्याक शहर में मजदूर आन्दोलन हुआ इस मजदूर आन्दोलन में 'करीब 15000 महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने नौकरी के घंटों में कमी, अच्छी सेलेरी और वोट देने का अधिकार की मांग बुलंद अवाज में की।'[7]

इस श्रम आन्दोलन को देखकर एक साल बाद राजनीति लाभ के लिये 'अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने सन् 1909 में महिला दिवस मनाने की घोषण की और पूरे अमेरिका में 28 फरवरी, 1909 को प्रथम महिला दिवस मनाया गया।'[8] सर्वप्रथम महिला अधिकारों के प्राप्ति के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए महिला दिवस का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जर्मनी के सामाजिक कार्यकर्ता और मार्क्सवादी चिंतक क्लरा जेटकिन (Clara Zetkin) इस महिला दिवस को विश्वस्तर पर महिला दिवस बनाने का फैसला किया। 'सन् 1910 में डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वर्किंग वीमेन कांफ्रेस हुई इसमें 17 देशों की करीब 100 महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन में क्लारा जेटकिन ने बड़ी कुशलता के साथ पहली बार विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने का विचार दुनिया के सामने रखा, जिसको व्यापक समर्थन मिला। इस बैठक में महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन को सम्मान करने और महिलाओं के लिये सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त करने में सहायता करने की बात स्वीकार की गयी।'[9] इसीलिए यह माना जाता है कि 'क्लारा जेटकिन ने विश्वस्तर पर महिला दिवस की शुरूआत करायी।

'सन् 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एवं स्विट्रजलैंड जैसे देश में 19 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।'[10] क्लारा जेटकिन के प्रयास से विश्वस्तर पर भले ही महिला दिवस मनाने की मंजूरी मिल गयी थी लेकिन यह दिवस किस तारीख को मनाया जाये स्पष्ट नहीं था।

'1917 ई० में रूस कृषि के क्षेत्र में एक पिछड़ा देश था जहां 15 करोड़ किसान और एक लाख तीस हजार भूमिपति थे वहां का सम्राट जार स्वयं सबसे बड़ा भूमिपति था। देश की अधिकांश भूमि भूमिपतियों की थी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी और अधिकांश किसान सर्फ (Serf) थे और जिस भूमि को वे जोतते थे उसी से बंधे हुए थे यद्यपि 1861 ई० में अर्द्धदास प्रथा को समाप्त कर दिया गया फिर भी उनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ।'[11] मजदूरी इतनी कम थी कि मजदूरों का जीवन निर्वाह कठिन हो गया था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था एवं रूस के निरंकुश सम्राट के अकर्मण्यता नीति ने रूस में क्रान्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

अव्यवस्था एवं कुप्रबन्ध के कारण '7 मार्च, 1917 को स्थिति अनियंत्रित हो गयी जब भूख और ठण्ड से ठिठुरते हुये गरीब मजदूरों ने पैट्रोग्राट की सड़कों पर दुकानों को लूटना आरम्भ कर दिया। सम्राट ने इन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया किन्तु सिपाहियों ने गोलिया चलाने से इनकार कर दिया, इसके ठीक 10 या 11 दिन बाद 8 मार्च, 1917 ई० को पेट्रोग्राट के कपड़े मील में काम करने वाली महिलाओं ने हड़ताल कर दी क्योंकि मजदूरी कम होने के वजह से उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। अगले दिन पुरूष मजदूर भी उन महिलाओं के साथ सम्मिलित हो गये। हड़ताली रोटी दो साथ में अत्याचारी शासन का नाश हो के नारे लगाने लगे। इस क्रान्ति ने 15 मार्च, 1917 ई० में राजवंश का अन्त कर दिया।'[12]

यह वोल्शेविक क्रान्ति अहिंसक थी 'इसी क्रान्ति के बाद लेनिन ने महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिया, तथा देश के आर्थिक जीवन में महिलाओं को हाथ बंटाने का पुरा अधिकार दिया। इस प्रकार रूस क्रान्ति के बाद रूस में महिलाओं को 2 जुलाई, 1917 में वोट देने का अधिकार

मिला। 'रूस में जिस दिन रूसी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था वह दिनांक जूलियन कैलेडर के अनुसार 23 फरवरी तथा दिन रविवार था लेकिन ग्रेगॉरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च थी। ग्रेगॉरियन कैलेडर काफी प्रचलित कैलेडर था इसलिए इसी कैलेंडर के आधार पर प्राय सभी लोग 8 मार्च को ही महिला दिवस के रूप में मनाने लगे।

चूंकि महिलाओं ने रूसी क्रान्ति में अहम भूमिका निभायी, उन्हें मर्दों के समान वोट देने का अधिकार मिला इसलिये इस क्रान्ति ने विश्व का ध्यान अपने तरफ आकृषित किया तथा इससे प्रेरित होकर प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा।'[13] अमेरिका में महिला दिवस को मार्च इतिहास के नाम से जाना जाता है।

रूसी क्रान्ति ने अमेरिका सहित यूरोप के देशों को अपने नीतियों में परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया। सन् 1688 ई0 में रक्तहीन क्रान्ति के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र व्यवस्था अपनाया गया। लोकतंत्र के बहाली के 230 वर्ष बाद 'सन् 1918 ई० में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला।'[14]

अमेरिका 04 जूलाई, 1776 ई० में ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ। 'अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना माना जाता है। फिर भी वहां लोकतंत्र बहाली के 141 वर्ष बाद 'सन् 1920 ई० में महिला को वोट देने का अधिकार मिला। सन् 1945 में फ्रांस एवं इटली के महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।'[15] 'स्विट्जरलैण्ड को विद्वानों ने 'लोकतंत्र के घर' की संज्ञा प्रदान की है परन्तु यहां सन् 1971 में महिलाओं को पुरूषों के समान मताधिकार प्रदान किया गया।'[16]

'महिला दिवस की तारीख को वर्ष 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। रूस सहित दुनिया के कई देशों में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है इटली में इस दिन एक–दूसरे को छुईमुई फूल देते है। रूस में 8 मार्च के आस–पास 3–4 दिनों तक फूल की बिक्री दुगुनी–तिगुनी हो जाती है। चीन में महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी मिलती है। हालांकि इसका पालन ठीक से नहीं किया जाता। अमेरिका में इसे मार्च इतिहास नाम से जाना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (इंटरनेशनल वीमेन डे) तीन रंगों बैंगनी, हरा और सफेद में प्रदर्शित किया जाता है। बैंगनी रंग न्याय एवं गरिमा का सूचक है, हरा रंग उम्मीद का रंग है, सफेद को शुद्धता का सूचक माना गया है।'[17]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध सन् 1939–1945 के दौरान ही मित्रराष्ट्रों को राष्ट्रसंघ की तुलना में एक अधिक व्यापक, शक्ति सम्पन्न तथा सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस होने लगी परिणामस्वरूप विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शन्ति व सुरक्षा बनाये रखने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, 1945 को स्थापना की गयी।'[18] द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन सम्पूर्ण विश्व शीत युद्ध के महाजाल में जकड़ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य विश्व में शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना फिर भी इनके चार्टर में पुरूष एवं महिलाओं के बीच समानता के लिए एक चार्टर शामिल किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय महिला एक श्रम आन्दोलन से शुरू हुआ लेकिन महिला से सम्बन्ध होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला को सलाना आयोजन करने स्वीकृति दी। शीत युद्ध के कारण सम्पूर्ण विश्व अपने–अपने खेमें में बंटे थे नीतियां, सिद्धान्त एवं

विचार भिन्न–भिन्न थे। ऐसी स्थिति में महिला का उत्थान हेतु सभी देशों को एक मंच पर लाना बहुत कठिन कार्य था संयुक्त राश्ट्र संघ ने चुनौती को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र का अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने '21 जून, 1946 में महिलाओं की स्थिति पर महिला संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) का गठन किया यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यकारी आयोग है।

UNCSW महिलाओं के राजनीति, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देने, रिपोर्ट करने और निगरानी करने के लिए एक तंत्र के रूप में स्थापना की गयी थी। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग (UNCSW) की पहली बैठक फरवरी 1947 में लेकसक्सेस न्यूर्याक में हुई। सभी 15 सरकारी प्रतिनिधि महिलाएं थी। इस बैठक में आयोग ने अपने मार्गदर्शक सिद्धान्तों का रूप घोषित किया– राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा या धर्म पर ध्यान दिए बिना महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए मानव उद्यम के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समानता के लिए वैधानिक कानूनों का प्रावधान तथा महिलाओं के खिलाफ सभी भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बनाना।'[19]

भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। आजादी से पूर्व अर्थात् स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान सभी भारतीय नेता महिलाओं के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण रखते थे तथा नारी आन्दोलन का समर्थन करते थे।

भारत ने अपने इतिहास एवं विश्व इतिहास से सबक लेकर स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आजादी प्राप्त करने के साथ ही महिला को पुरूषों की तरह वोट देने का अधिकार दे दिया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जन्म के पश्चात बालिका की हत्या, बहु–पत्नी व्यवस्था, जौहर प्रथा, कन्या को शिक्षा से दूर रखना आदि को जड़ से समाप्त कर दिया। भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए दो तरीका अपनाया पहला भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया, दूसरा लिखित भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर समानता लाने के लिए एक समान मौलिक अधिकार एवं सरकार द्वारा लिंग विवेध के आधार पर कोई कानून न बनाने का नियम बनाया। इसके अलावा समय–समय पर संसद नियम बनाकर महिला की स्थिति एवं सुरक्षा में सुधार किया गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पाते है कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा सबसे अच्छी थी। फिर भी 'ऋग्वेद काल में महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार नहीं था।'[20] स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार दिया गया इसका बहुत कुछ श्रेय डॉ० भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। यूरोपियन देशों की तरह स्वतंत्र भारत में वोट देने के लिए महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ा।

आयोग ने 1946 के बाद भेदभाव पूर्ण कानून को बदलने और महिलाओं के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। CSW ने महिला की वास्तविक स्थिति हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन शुरू किया, तथा वैज्ञानिक तरीका के लिये शोध का सहारा लिया। शोध के लिए देश दर देश की कानूनी स्थिति की समीक्षा किया विशेष रूप से वह नियम जो महिला के प्रति भेदभाव दर्शाता है तथा एक वृहत

तस्वीर तैयार की इसके अलावा महिला आन्दोलन के नेताओं से बात के उपरान्त एक वृहद डाटा तैयार किया तथा इन डाटा के विश्लेषण एवं शोध के बाद एक दस्तावेज तैयार किया।

आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों में महिलाओं को काम दिलाने में सहयोग किया। CSW ने अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन 1951 का सम्मेलन में पुरूष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। 'सितम्बर 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकार के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में महिलाओं को पुरूषों के समान मत देने का अधिकार सार्वजनिक पद ग्रहण करना एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकार पाने के सम्बन्ध में था। 12 अप्रैल, 1955 तक 21 राष्ट्रों ने इस उपबन्ध को स्वीकार किया।'[21]

'विवाह में महिलाओं के अधिकार के लिए 1957 में सम्मेलन हुआ। सन् 1962 के सम्मेलन विवाहित महिलाओं के न्यूनतम आयु एवं पंजीकरण पर सहमति प्राप्त की गयी। ब्रिट्रेनी संसद के लार्ड सभा में केवल पुरूषों को सदस्यता दी जाती थी, 'पीयरेज अधिनियम' (Pearage Act.) सन् 1963 ई0 द्वारा महिलाओं को लार्ड सभा में सदस्यता दी गयी।'[22]

'1960 के दशक में जैसे–जैसे सबूत जमा हुये इस सबूतों में आयोग पाया कि– महिलाओं में असमानता का वजह गरीबी है गरीबी को दूर करने के लिए आयोग ने कृषि कार्य, ग्रामीण विकास, परिवार नियोजन, वैज्ञानिक तकनीकी में महिला को केन्द्र बिन्दू में रखकर उनकी भागीदारी को निर्धारित करने की बात की। आयोग ने विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहायता पहुंचाने की सिफारिस की। 1963 में महिलाओं के अधिकारों पर मानक को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने आयोग से मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया।

UNCSW के प्रतिनिधियों ने शिक्षा, रोजगार, विरात, दंडात्मक सुधार और अन्य मुद्दों पर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों से प्राप्त क्रियाये को एकत्र कर एक मसौदा तैयार किया तथा महासभा ने व्यापक विचार–विमर्श के बाद 7 नवम्बर, 1967 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा (DEDAW) पारित की।

आयोग 1972 में एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से सिफाारिश किया कि 1975 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाते समय 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करें ताकि 25वीं वर्षगांठ एक यादगार के रूप में याद किया जाय। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को एक थीम के साथ प्रस्ताव पारित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अनौपचारिक रूप से मान्यता दी। इस प्रकार 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रथम थीम सेलब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्युचर थी संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रस्ताव पारित कर 1975 से 1985 तक के वर्ष को महिला का दशक घोषित किया।'[23]

प्रथम महिला विश्व सम्मेलन

'महिलाओं का प्रथम विश्व सम्मेलन 1975 में मैक्सिकों देश के शहर मैक्सिकों सिटी में आयोजित किया गया। इसमें 133 सरकारों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के संयोजन में

पूर्णरूप से महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस सम्मेलन में सहमति बनी की महिलाओं को सहायता देने के बजाय महिलाओं को विकसित करने के लिए नीति को निर्धारित किया जाय। अमेरिका ने कानूनी उपायों द्वारा राजनीति अधिकारों और भेदभाव के उन्मूलन की वकालत की वही सोवियत खेमे ने महिलाओं को सशक्त बनाने की वकालत की ताकि अपनी प्राकृतिक क्षमताओं द्वारा हिंसा और असमानता दूर करने में सक्रिय सहभागिता कर सके। यह स्वीकार किया गया कि अकेला कानूनी परिवर्तन द्वारा समानता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सामान्य चर्चा में सहमति हुई कि शहरी और ग्रामीण महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध कराये गये विकासात्मक कार्यक्रमों में योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन और विश्लेषण तक अर्थात् प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने के कार्यों में महिलाओं को शामिल किया जाय। शान्ति की दिशा में महिलाओं के प्रयासों की चर्चा की गयी, चर्चा में मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विकसित करने और निरस्त्रीकरण विशेष रूप परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालने वाले कारकों में महिलाओं के योगदान को मान्यता दी गयी। शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने में अंतर्राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक समस्या समाधान में महिलाओं की भागदारी में वृद्धि पर चर्चा की गयी। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और समस्याओं को खत्म करने में की गयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अनुवर्ती सम्मेलन करने की बात स्वीकार की गयी।'[24]

प्रथम महिला सम्मेलन में रूस ने जो अपना तर्क रखा वह तर्क मार्क्स एवं लेनिन के विचारों से प्रभावित था 'महिला के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा था– स्त्रियों का उद्धार तथा उनकी पुरूषों से समानता तब तक असम्भव है, जब तक कि उन्हें समाज के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से वंचित करके घरेलू कार्यों तक सीमित रखा जाता है। लेनिन ने भी महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को नारी मुक्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया है।'[25]

इसमें महिलाओं की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं निरंतर मुद्दों और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए धन उपलबध कराने के लिए महिला संयुक्त राष्ट्रकोश की स्थापना की बात स्वीकार की गयी। 'प्रथम महिला सम्मेलन के बाद महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान 1976 एवं संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोश 1976 की स्थापना की गयी। इस सम्मेलन ने नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण मोड़ दिया।

संयुक्त राष्ट्र विकास कोश (UNIFEM)

प्रथम विश्व सम्मेलन में विश्व सरकारों ने महिलाओं के मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले अभिनव कार्यक्रमों और रणनीतियों को कारगर बनाने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी की आवश्यकता महसूस की।

फलस्वरूप महिला सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र के अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद के महासभा द्वारा क्रमशः 12 मई, 1976 से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान एव प्रशिक्षण संस्थान (United Nations International Research and Training Institute of Women (INSTAW)) बनाने की अनुमति दी एवं दिसम्बर, 1976 में संयुक्त राष्ट्र (निधि) (UNIFEM) की स्थापना की गई। 1885 के बीच (UNIFEM) परियोजनाओं के लिए अनुदान दोगुना हो गया।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्य विकास प्रक्रिया में महिलाओं के एकीकरण की वृद्धि हेतु प्रशिक्षण करना, सूचनाओं का संग्रहण व वितरण करना एवं शोध संचालित करना, यह स्वायत्त संस्था था जिसमें स्वैच्छिक दानों द्वारा वित्त प्राप्त होता था इसका मुख्यालय सेंटो डोमिगो (डोमीनिकन गणराज्य) में था।

दूसरा विश्व सम्मेलन

महिलाओं का दूसरा विश्व सम्मेलन 1980 में कोपनहेगन में आयोजित किया गया। इसमें 145 सदस्य देश एकत्रित हुये। इनका उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुये प्रथम विश्व सम्मेलन के लक्ष्यों को लागू करना एवं समीक्षा करना था। सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 1979 का सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। कोपनहेगन सम्मेलन ने महिलाओं के लिए सुरक्षित किये जा रहे अधिकारों और उन अधिकारों का प्रयोग करने की महिलाओं की क्षमता के बीच अतंर को स्वीकार किया गया। यह भी सहमति हुई कि जिन तीन क्षेत्रों पर कार्यवाही थी शिक्षा की समान पहुंच, रोजगार के अवसर और मैक्सिकों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं आवश्यक है।

महिलाओं पर तीसरा विश्व सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक की उपलब्धियों की समीक्षा मूल्यांकन के लिए महिलाओं का तीसरा विश्व सम्मेलन 1985 में नैरोबी में आयोजित किया गया। इसमें 157 सदस्यों के 1960 प्रतिनिधि शामिल हुये। नैरोबी सम्मेलन में इन क्षेत्रों को निर्धारित किया जिनके द्वारा महिलाओं की समानता के प्रगति को मापा जा सकता है। संवैधानिक और कानूनी उपाय सामाजिक भागीदारी में समानता, राजनीतिक, भागीदारी में समानता और निर्णय लेना। सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं को मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों में भाग लेने की आवश्यकता है न कि केवल उन क्षेत्रों में जो लिंग से सम्बन्धित है इस सम्मेलन में महिला उत्थान हेतु प्रगतिशील रणनीति को अपनाया गया।

सरकारों ने महिलाओं की उन्नति के लिए नैरोबी की भविष्योन्मुखी रणनीति को अपनाया जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए शान्ति और विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायों को रेखांकित किया गया।

चौथा सम्मेलन

सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व स्तर पर महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकारों का प्रथम बार घोषण की गयी। महिलाओं पर चौथें विश्व सम्मेलन, समानता, विकास और शान्ति के लिए कार्यवाही के नाम से सन् 1995, के दौरान एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बीजिंग (चीन) में बुलाया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर की सरकारों ने वैश्विक कानूनी समानता हासिल करने के लिए एक व्यापक योग्यता या सहमति व्यक्त की जिसे बीजिंग प्लेट फार्म एक्सन के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधियों ने महिलाओं के लिए अधिक समानता और अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से एक घोषणा

और कार्यवाही के लिए मंच तैयार किया। बीजिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 189 सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, यूरोपीय संघ और अरब राष्ट्रों का संघ जैसे अंतर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और संगठनों ने भाग लिया।

बीजिंग डिक्लेरेशन एण्ड प्लेट फार्म फॉर एक्शन–व्यापक रूप से महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रगतिशील ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है।

1. महिलाएं और पर्यावरण
2. सत्ता और निर्णय लेने वाली महिलाएं
3. बालिका
4. महिलाएं और अर्थव्यवस्था
5. महिला एवं गरीबी
6. महिला के विरूद्ध क्रूरता
7. महिलाओं के मानवाधिकार
8. महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षणों
9. महिलाओं की उन्नति के लिए संस्थागत तंत्र
10. महिला और स्वास्थ्य
11. महिला ओर मीडिया
12. महिला और संशस्त्र संघर्ष

प्लेटफार्म फॉर एक्शन महिला सशक्तीकरण का एजेंडा है इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति के लिए नैरोबी दूरदर्शी रणनीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति के पूर्ण एवं समान हिस्सेदारी के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सक्रिय भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करना आदि।

संयुक्त राष्ट्र महिला

संयुक्त राष्ट्र संघ विगत कई वर्षों से महिला समानता पर प्रशंसनीय कार्य करता चला आ रहा है इसके लिए कई समस्याओं का भी सामना किया। महिलाओं के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई प्रभाग का गठन किया था जैसे– महिला संवर्धन प्रभाग 1946 लिंग धारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय 1946, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोश, 1976 एवं महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्था 1976 आदि। ये संस्थायें महिलाओं के विकास के लिए अपने क्षेत्र में कार्य किया। जनवरी 2010 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने लैंगिंक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण नामक शीर्षक से एक प्रस्ताव महासभा में पेश किया।

इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थाओं को अपने–अपने विषय पर कार्य करने के बजाय एक इकाई के रूप में लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। गुण–दोष विवेचना के बाद 2 जुलाई, 2010 को महासभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव

को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार इसमें पूर्व के चार संगठन निम्न है– 1. महिला संवर्धन प्रभाग 1946, 2. लिंग धारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय, 1946, 3. संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, 1976, 4. संयुक्तराष्ट्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान, 1976 को विलय कर एक नयी इकाई संयुक्तराष्ट्र महिला संस्था की गठन की गयी। वास्तविक रूप से 1 जनवरी, 1911 को संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन अस्तित्व में आया और अपना काम शुरू कर दिया इस संगठन का मुख्यालय न्यूयार्क (अमेरिका) में है।'[26]

संयुक्त राष्ट्र महिला की सामाजिक योजना (2018–21)

संयुक्तराष्ट्र महिला लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दिशा, उद्देश्यों और दृष्टिकोण की रूपरेखा तय करती है महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन और वैकल्पिक प्रॉटोकाल पर सम्मेलन हेतु एक सामाजिक योजना 2018–2021 पेश की इसमें उद्देश्य निम्न है।

1. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का विरोध करना।
2. महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
3. महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना।
4. महिलाओं की राजनीति सहभागिता को बढ़ावा देना।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2021 का थीम Choose to Challenge

इस थीम में कहा गया कि बदलती दुनिया एक चुनौतीपूर्ण दुनिया है और हम सब लैंगिक भेदभाव और असमानता को चुनौती दे सकते है। सामूहिक रूप से हम सब समावेशी दुनिया बनाने में योगदान दे सकते है तभी हम सब महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मना सकते है। 2021 में 110वां अन्तर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया। यद्यपि इस बार करोना संक्रमण के कारण दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल आयोजन किया गया।

लिंग समानता एवं महिला सशक्तीकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है

सन्दर्भ

1. गाबा, डा० ओमप्रकाश. (2021). राजनीति चिंतन की रूपरेखा. शिवा एंटरप्राइजेसः दिल्ली. पृष्ठ **136.**
2. गौतम, डॉ० अलका., रस्तौगी, डॉ० सोनल. (2012–13). सामाजिक विज्ञान. विद्याभारतीः मेरठ. पृष्ठ **24.**
3. वही. पृष्ठ **25.**
4. जैन, प्रो० हुक्म चन्द., माथुर, डॉ० कृष्णचन्द. (2002). विश्व इतिहास. जैन प्रकाशन मन्दिरः जयपुर. पृष्ठ **852.**
5. वही. पृष्ठ **930.**
6. www. net.

7. www. net.
8. www. net.
9. www. net.
10. www. net.
11. तिवारी, पी–एच०डी०, पी०ए०. (1993). यूरोप का इतिहास. भारती भवनः पटना. पृष्ठ **193.**
12. जैन, प्रो० हुक्म चन्द., माथुर, डॉ० कृष्णचन्द. (2002). विश्व इतिहास. जैन प्रकाशन मन्दिरः जयपुर. पृष्ठ **502.**
13. www. net.
14. www. net.
15. www. net.
16. पालीवाल, डॉ० आर०के०. समकालीन राजनीतिक मुद्दें. चित्रा प्रकाशनः मेरठ. पृष्ठ **133.**
17. www. net.
18. राजाराम, कल्पना. (2004). स्पेक्ट्रम सा0 अध्ययन. स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा०लि०ः नई दिल्ली. स०ज्ञ०पु०. पृष्ठ **2.**
19. www. net.
20. पाण्डेय, एस०के०. (2006). प्राचीन भारत. प्रयाग एकेडेमीः इलाहाबाद. पृष्ठ **118.**
21. पालीवाल, डॉ० आर०के०. समकालीन राजनीतिक मुद्दें. चित्रा प्रकाशनः मेरठ. पृष्ठ **141.**
22. वही. पृष्ठ **133.**
23. www. net.
24. www. net.
25. पालीवाल, डॉ० आर०के०. समकालीन राजनीतिक मुद्दें. चित्रा प्रकाशनः मेरठ. पृष्ठ **137.**
26. www. net.